न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–274 / 2026
(सोनो थाना कांड संख्या 23 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

प्रियंका देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

आदेश

26.03.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **(1) प्रियंका देवी** उम्र लगभग 31 वर्ष पति–विकास कुमार एवं साकिन बलथर, पंचायत बलथर, थाना सोनो जिला जमुई **(2) भेलनी देवी** उम्र करीब 53 पति टुनटुन रजक साकिन बलथर, पंचायत बलथर, थाना सोनो जिला जमुई द्वारा सोनो थाना कांड संख्या 23 / 2026 भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 12.02.2026 को डिसकनेक्ट स्मार्ट मीटर के उभोक्ताओं के परिसर जांच करने एवं विद्युत बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन तथा विद्युत उर्जा चोरी के खिलाफ एक छापामारी दल का गठन यिका गया। जिसमें सूचक के अलावे श्री अपूर्व कुमार मिश्र, विद्युत अधीक्षण अभियंता, एस0टीएफ0 विद्युत अपूर्ति अंचल, जमुई एवं श्री विनोद कुमार नागर, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल झाझा एवं प्रशाखा , सोनो के मानवबल श्री मिथिलेश कुमार, श्री भूखन कुमार अन्य विभागीय कर्मी मौके पर मौजूद थे।

यह जांच दल लगभग 4:33 बजे अपराह्न में प्रियंका देवी पति स्व0 विकास कुमार पता बलथर, पंचायत बलथर, थाना सोनो जिला जमुई के आवासीय परिसर पर पहुंचा तो जांच के क्रम में इनके उपभोक्ता संख्या 23920023899 का कागजात दिखलाये जो विकास कुमार के नाम से था तथा इसपर बकाया राशि 22696 पाया गया है। इनके परिसर में लगे स्मार्ट मीटर संख्या ए03943086 से एल0टी0 मेन लाईन में लगे तार के बीच में तार को छिलकर उसमें अन्य अवैध टोका जोड़कर लगभग 0.087 किलो वाट विद्युत उर्जा का डी0एस0–01 में अवैध उपभोग किया जा रहा था। इनके इस कृत्य से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को लगभग रूपये 3363 / – तीन हजार तीन सौ तिरसठ रूपये मात्र की क्षति हुई। आंशिक रूप से चोरी में प्रयुक्त तार को जब्त कर लिया गया जिसे जब्ति सूची में दर्शाया गया है। अतः कुल देय राशि 26059 मात्र की क्षति हुई है जिसमें कम्पाउन्डिंग शुल्क सम्मिलित नहीं है।

यह जांच दल लगभग 4:46 बजे अपराह्न में भेलनी देवी पति टुनटुन रजक पता बलथर, पंचायत बलथर, थाना सोनो जिला जमुई के आवासीय परिसर पर पहुंचा तो जांच के क्रम में इनके द्वारा उपभोक्ता संख्या 239208056228 का कागजात दिखलाये जो भेलनी देवी के नाम से था, तथा इस पर बकाया राशि 24267 / –रूपया पाया गया है। इनके परिसर में लगे स्मार्ट मीटर संख्या 7768021 से एल0टी0 मेन लाईन में लगे तार के बीच में तार को छीलकर उसमें अन्य अवैध टोका जोड़कर लगभग 0.460 किलो वाट विद्युत उर्जा का डी0एस0–1 में अवैध उपभोग किया जा रहा था। इस कृत से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना को लगभग रूपये 18366 / –रू0 अठारह हजार तीन सौ छियासठ रूपये मात्र की क्षति हुई। कुल देय राशि 42633 रूपये की क्षति हुई है इसमें कम्पाउन्डिंग शुल्क सम्मिलित नहीं है।

3– आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक की ओर से सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को धारा 35(2), 35(3)(5) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदकगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि आवेदकगण बिजली विभाग के स्थायी उपभोक्ता हैं अत्यंत गरीबी के कारण आवेदिकागण समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाये। यह कि आवेदिकागण 25 प्रतिशत शर्तों को मानने तथा साथ ही न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–274 / 2026
(सोनो थाना कांड संख्या 23 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

प्रियंका देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

26.03.2026
लगातार

भुगतान करने को तैयार है कम्पउन्डिंग शुल्क सहित। चूंकि आवेदकगण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के ही रहने वाले हैं इसलिए उनके फरार या भागने की संभावना नहीं है। आवेदिकागण न्यायालय के सभी तैयार हैं। अतः आवेदिकागण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। आवेदिकागण विद्युत विभाग के पंजीकृत उपभोक्ता है। आवेदिका संख्या 01 पर आरोप है कि इनके परिसर में लगे स्मार्ट मीटर संख्या ए03943086 से एल0टी0 मेन लाईन में लगे तार के बीच में तार को छिलकर उसमें अन्य अवैध टोका जोड़कर लगभग 0.087 किलो वाट विद्युत उर्जा का डी0एस0–01 में अवैध उपभोग किया जा रहा था। इनके इस कृत्य से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को लगभग रूपये 3363 / – तीन हजार तीन सौ तिरसठ रूपये मात्र की क्षति हुई। आंशिक रूप से चोरी में प्रयुक्त तार को जब्त कर लिया गया जिसे जब्ति सूची में दर्शाया गया है। अतः कुल देय राशि 26059 मात्र की क्षति हुई। इनके उपभोक्ता संख्या 23920023899 है जो आवेदिका के पति के नाम से है। वहीं आवेदिका संख्या 02 पर आरोप है कि इनके परिसर में लगे स्मार्ट मीटर संख्या 7768021 से एल0टी0 मेन लाईन में लगे तार के बीच में तार को छिलकर उसमें अन्य अवैध टोका जोड़कर लगभग 0.460 किलो वाट विद्युत उर्जा का डी0एस0–1 में अवैध उपभोग किया जा रहा था। कृत से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना को लगभग रूपये 18366 / –रू0 अठारह हजार तीन सौ छियासठ रूपये मात्र की क्षति हुई। कुल देय राशि बकाया सहित 42633 रू0 की क्षति हुई। जिसमें कम्पाउन्डिंग शुल्क सम्मिलित नहीं है। इनका उपभोक्ता संख्या 239208056228 है जो कि आवेदिका के नाम से है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं इस वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा इस वाद के आवेदिकागण जो कि महिला है और विधवा हैं तथा दोनो आवेदिका के परिवार का भरण पोषण मुश्किल से चलता है। दोनों की आर्थिक एवं समाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये आवेदिका द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का पचचीस प्रतिशत (25%) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने पर तथा शेष राशि को तीन बराबर किस्तों में इस आदेश से तीन माह के अन्दर जमा करने पर एवं कम्पाउन्डिंग शुल्क भी अंतिम किश्त अथवा उसके पहले जमा करने का शपथपत्र न्यायालय में देने पर आवेदिकागण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदकगण द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में बकाया राशि का पच्चीस प्रतिशत (25%) शुल्क जमा कर, उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर तथा इस आदेश में उल्लिखित बातों का शपथ पत्र दाखिल करने पर एवं आवेदकगण द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसर्पण करने अथवा इस वाद में पुलिस द्वारा आवेदकगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं 438(2) द0प्र0सं0 में उल्लिखित शर्तों का पालन करने पर आवेदिकागण **(1) प्रियंका देवी (2) भेलनी देवी** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।

मेमो संख्या–..... दिनांक–.....
प्रति–विद्वान ए0सी0जे0एस0, द्वितीय, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।